संख्या-398/2023/1550/22-2-2023-17(398)/2023

प्रेषक,

कृष्ण कुमार सिंह,
उप सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ दिनांक 22 जून, 2023

विषय:-केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू तिवारी पुत्र श्री सूरजदीन तिवारी, निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-14573/प्रोबेशन-3-फार्म-ए/(एम-05.05.2023), दिनांक-05.05.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू तिवारी पुत्र श्री सूरजदीन तिवारी, ग्राम-जलालपुर, थाना-ताल कटोरा, जनपद-लखनऊ का निवासी है। दिनांक 31.07.2006 को बंदी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के 07 वर्ष पुत्र शुभांकर तिवारी का फिरौती वसूली के लिए अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 1273/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364/34, 386/34, 201/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-3, लखनऊ के आदेश दिनांक 19.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 05.07.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष 10 माह 21 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष 07 माह 02 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध कारित करने में अशक्त होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 31.07.2006 को बंदी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के 07 वर्ष पुत्र शुभांकर तिवारी का फिरौती वसुली के लिये अपहरण कर उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पप्पू तिवारी पुत्र श्री सूरजदीन तिवारी को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू तिवारी (बन्दी संख्या-818/2007) पुत्र श्री सूरजदीन तिवारी, निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

संख्या-398/2023/1550(1)/22-2-2023 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।

2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

3- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को रिट याचिका (क्रि0) संख्या-336/2019 रशीदुल जफर उर्फ छोटा बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 06.09.2022 के सन्दर्भ में।

4- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अजय कुमार तिवारी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-398/2023/1550/22-2-2023-17(398)/2023

दिनांक 22 जून, 2023 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी पप्पू तिवारी पुत्र श्री सूरजदीन तिवारी, ग्राम-जलालपुर, थाना-ताल कटोरा, जनपद-लखनऊ का निवासी है। दिनांक 31.07.2006 को बंदी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के 07 वर्ष पुत्र शुभांकर तिवारी का फिरौती वसूली के लिए अपहरण कर उसकी हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 1273/2006 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 364/34, 386/34, 201/34 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0-3, लखनऊ के आदेश दिनांक 19.07.2007 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बंदी द्वारा दिनांक 05.07.2022 तक अपरिहार 15 वर्ष 10 माह 21 दिन तथा सपरिहार 20 वर्ष 07 माह 02 दिन की सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुनः अपराध कारित करने में अशक्त होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि दिनांक 31.07.2006 को बंदी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर वादी के 07 वर्ष पुत्र शुभांकर तिवारी का फिरौती वसुली के लिये अपहरण कर उसकी हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोवेशन अधिकारी, संयुक्त पुलिस आयुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी पप्पू तिवारी पुत्र श्री सूरजदीन तिवारी को फार्म ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

कृष्ण कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in